राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 5257/2024

पार्वती देवी उर्फ भूरी देवी पत्नी स्वर्गीय देवीलाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, पचपदरा, पी.एस. पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. महेंद्र सिंह पुत्र वीरसिंह, हाथमा थाना रामसर जिला बाड़मेर, वर्तमान निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर
3. एस.एच.ओ., पी.एस. पचपदरा, जिला. बाड़मेर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री भारत बूब

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री महिपाल बिश्नोई, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>07/08/2024</u>

1. याचिकाकर्ता यहां आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1/2022 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोतरा द्वारा पारित दिनांक 12.06.2024 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में चुनौती के तहत विद्वान उप मंडल मजिस्ट्रेट, बालोतरा द्वारा पारित दिनांक 22.07.2022 का आदेश था, जिसके तहत विद्वान एसडीएम ने धारा 145 और 146(1) सीआरपीसी के तहत संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि विवादित संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता और घनश्याम द्वारा क्रमशः दो एफआईआर संख्या 181/2022 और 182/2022 दर्ज कराई गई थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी विवादित संपत्ति का स्वयं को मालिक बताते हुए एस.एच.ओ., पी.एस. पचपदरा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। कानून व्यवस्था की स्थिति की आशंका के चलते एस.एच.ओ. ने विद्वान

एस.डी.एम. के समक्ष धारा 145 और 146(11) सी.आर.पी.सी. के तहत शिकायत दर्ज कराई। विद्वान एस.डी.एम. ने दिनांक 22.01.2022 के आदेश के तहत धारा 146(1) सी.आर.पी.सी. के तहत संपत्ति को कुर्क कर लिया और एस.एच.ओ., पी.एस. पचपदरा को रिसीवर नियुक्त किया गया।

2.1 उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोतरा के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 12.06.2024 के आदेश के अनुसार पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एसडीएम का आदेश एक अंतरिम आदेश है न कि अंतिम आदेश। इसलिए, यह याचिका।

3. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक से बात की और मामले की फाइल का अवलोकन किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायालय ने विद्वान एसडीएम द्वारा पारित आदेश को अंतरिम आदेश मानते हुए गलती की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 10398/2024 नामक रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष एक सिविल विवाद लंबित है। यहां तक कि एक अंतरिम आदेश भी याचिकाकर्ता के पक्ष में चल रहा है और याचिकाकर्ता संपत्ति पर कब्जा रखता है। इस अंतराल अवधि के दौरान कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अभी भी कायम है। इस प्रकार, दिनांक 22.07.2022 को पारित आदेश का उद्देश्य, अर्थात क्षेत्र में शांति बनाए रखना, इसके मद्देनजर मौजूद नहीं था। इस प्रकार, विद्वान सत्र न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था।

5. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत हूं। इसके अलावा, मेरा मानना है कि विद्वान एसडीएम द्वारा पारित आदेश किसी भी मामले में अंतरिम प्रकृति का नहीं है, क्योंकि कुर्की का आदेश सीआरपीसी की धारा 146 के तहत दायर आवेदन के संबंध में अंतिम है। आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा हो गया है। यह केवल उसका निष्पादन है, जिसके लिए उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करके गंभीर अनियमितता की है कि यह केवल अंतरिम प्रकृति का था।

6. इस आधार पर, याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.06.2024 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है और पुनरीक्षण याचिका को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण और इस न्यायालय की टिप्पणियां तत्काल याचिका के निपटारे के उद्देश्य से हैं और इन्हें पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष पर किसी राय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जिसे नए सिरे से निपटारे के लिए वापस भेजा जा रहा है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।